न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 12/2019/अपील

1. हमेश कुमार
2. अनन्त कुमार } पुत्रगण श्रवण कुमार

जाति बलाई निवासीगण राजपुरा (नौसाल) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)

–अपीलांट

ब ना म

1. गंगा देवी पत्नि रामनाथ जाति जाट निवासी राजपुरा (नौसाल) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
2. महेन्द्र पुत्र रामनाथ जाति जाट निवासी राजपुरा (नौसाल) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
3. विमला देवी पुत्री रामनाथ पत्नि गोकुलचन्द हाल निवासीनी ससुराल ग्राम सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
4. पप्पूडी देवी पुत्री रामनथ पत्नि गिरधारी हाल निवासीनी ससुराल ग्राम सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
5. सोहनी देवी पुत्री रामनाथ पत्नि ओमप्रकाश हाल निवासीनी ससुराल ग्राम घरवाणी (शिम्भुपुरा) तहसील नॉवा जिला नागौर।
6. मंजू देवी पुत्री रामनाथ पत्नि मूलचन्द हाल निवासीनी ससुराल ग्राम घरवाणी (शिम्भुपुरा) तहसील नॉवा जिला नागौर।
7. पटवारी, पटवार हल्का डांसरोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)।
8. ग्राम पंचायत डांसरोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर जरिये: सरपंच, ग्राम पंचायत डांसरोली।

– रेस्पोडेन्टस

<u>अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 525 दिनांकित 20.12.2018 व नामान्तकरण संख्या 534 दिनांक 07.05.2018 द्वारा ग्राम पंचायत डांसरोली तहसील दांतारामगढ (सीकर)</u>

उपस्थिति–

1. **श्री मूलचन्द धायल वकील वादी की ओर सें।**
2. **रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 8 के विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी।**

ण्ड अधिकारी दांतारामगढ

नि र्ण य **दिनांक –21.02.2022**

1- अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलांट ने एक दावा व टी. आई. उनवानी हमेश कुमार व अन्य बनाम रामनाथ वगैरह मुकदमा नम्बर 105/2008 टी.आई. 102/2008 दिनांक 24.05.2008 को पेश किया जो बाद रिपोर्ट दिनांक 26.05.2008 को अदालत हाजा के द्वारा खसरा नम्बर 711 रकबा 1.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 711/739 रकबा 0.44 हैक्टर। सम्वत् 2061 से 2064 की जमाबंदी मतें दर्ज जमाबंदी संलग्न दावा व टी.आई. के सम्बंध में स्थगन आदेश इस प्रकार का जारी किया गया कि ''अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से अंतरीम रूप से आगामी पेशी 14.07.2008 तक पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजियात खसरा नम्बर 711 रकबा 1.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 711/739 रकबा 0.44 हैक्टर, खसरा नम्बर 708/787 रकबा 0.29 हैक्टर वाके ग्राम राजपुरा (नौसाल) तहसील दांतारामगढ की भूमि का विक्रय, हस्तांतरण न करे व रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखे'' उक्त पत्रावली में आगामी पेशी 25.09.2019 नियत है। उक्त पत्रावली संख्या 105/2008, 102/2008 का अप्राथी/प्रतिवादी संख्या एक की मृत्यु पर अदालत हाजा में बिना इजाजत अपीलाधीन नामान्तकरण जिनमें खसरा नम्बर 711/739 रकबा 0.44 हैक्टर .का नामान्तकरण पेडेन्सी प्रकरण भर कर ''कोर्ट ऑफ कन्टेम्पट'' का कृत्य किया है। तथा पेडेन्सी प्रकरण उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 525, 534 खसरा नम्बर 711/739 करबा 0.44 हैक्टर की हद तक निम्न आधारों पर निरस्त किये जाने योग्य है:–

(क) अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 525, 534 खसरा नम्बर 711/739 रकबा 0.44 हैक्टर का माननीय न्यायालय से दावा टी.आई. पेडेन्सी के दौरान बिना अदालत हाजा की इजाजत के भरा जाने से प्रथम दृष्टया ही खारीज होने योग्य है।

(ख) अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 525, 534 माननीय न्यायालय में पक्षकारान रामनाथ के वारिसान को तथ पटवारी हल्का डांसरोली जो माननीय न्यायालय के उक्त प्रकरण संख्या 105/2008, 102/2008 की प्रारम्भ से ही जानकारी होने से अपीलांट के प्रकरण को निष्प्रभावी करने की गरज से भरा जाकर अदालत हाजा के स्थगन आदेश की अवहेलना की है। इसलिए उक्त नामान्तकरण

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

संख्या 525 व 534 भूमि खसरा नम्बर 711/739 रकबा 0.44 हैक्टर की हद तक निरस्त किये जाने योग्य है।

(ग) नामान्तकरण संख्या 525, 534 के खसरा नम्बर 711/739 रकबा 0.44 हैक्टर पर ना तो अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या एक रामनाथ का कभी कोई कब्जा रहा है तथा ना ही उसके वारिसान का कब्जा काश्त है। इसलिए अपीलांट के कब्जे, हक, अधिकार की सम्पदा का अदालत मे प्रकरण के लम्बित रहने के दौरान जो विरासत व हक त्याग नामान्तकरण संख्या 525, 534 अवैधानिक रूप से भरा जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 को जो खातेदारी दी गई है, गलत है, अदालत हाजा के स्थगन आदेश को ताक में रख कर किया गया रिकार्ड परिवर्तन नामान्तकरण संख्या 525, 534 खसरा नम्बर 711/739 रकबा 0.44 हैक्टर की हद तक निरस्त किये जाने योग्य है।

घ) माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 105/2008 व 102/2008 भूमि खसरा नम्बर 711/739 रकबा 0.44 हैक्टर जो सेटलमेन्ट की साजसी नक्शा व खातेदारी, दुरूस्ती का पेन्डीना रहने के दौरान जिस प्रकार नामान्तकरण संख्या 525, 534 के द्वारा अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या एक की समस्त खातेदारी के वारिसान के नाम कर वाद व स्थगन पेन्डीग के दौरान स्थगन आदेश के अस्तित्व में रहने के दौरान भरा जाने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन दोनों ही नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 8 के कार्यालय में दिनांक 20.12.2008 व दिनांक 07.05.2008 को तस्दीक हुए है परन्तु पूर्व में इसकी जानकारी अपीलांट को नहीं हुई। इसकी जानकारी दिनांक 23.08.2019 की अपीलांट द्वारा जमाबन्दी की नकल लेने, नामान्तकरण संख्या 525, 534 की प्रमाणित प्रति दिनांक 06.09.2019 व जमाबंदी की प्रमाणित प्रति दिनांक 11.09.2019 को प्राप्त होने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई है। इस प्रकार अपील पेश करने में हुआ विलम्ब जानबूझकर नहीं बल्कि जानकारी के अभाव में हुआ है जो क्षमा किये जाने योग्य है एवं इसके लिए अलग से दफा 5 अवधि परिसीमा अधिनियम का आवेदन पेश करके अपीलांट द्वारा अपील पेश करने की अनुमति प्राप्त कर ली गई है। अपीलांट को अपीलाधीन नामान्तकरणों की नकल प्राप्त होने जानकारी से अपील अंदर मियाद सादर पेश है। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 525 व 534 ग्राम पंचायत डांसरोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा भरा गया है इसलिए माननीय अदालत हाजा को अपील सुनवाई का

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

समुचित क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार हासिल है। अतः अपील प्रस्तुत कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत डांसरोली के अपीलाधीन नामातकरण संख्या 525, 534 खसरा नम्बर 711/739 रकबा 0.44 है0 वाके ग्राम राजपुरा (नौसाल) पटवार हल्का डांसरोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की हद तक का निरस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड अदालत हाजा के लम्बित प्रकरण संख्या 105/2008, 102/2008 के निर्णय तक यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 लगायत 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अपील अपीलांट पर बहस एकपक्षीय सुनी गई।

3. अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन सें स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत डांसरोली तहसील दांतारामगढ द्वारा न्यायालय हाजा के स्थगन होने के बावजूद भी नामान्तकरण संख्या 525 व 534 भरा गया है जो न्यायालय हाजा के स्थगन आदेश की अवहेलना की है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा नामान्तकरण संख्या 525 दिनांक 20.12.2018 व नामान्तकरण संख्या 534 दिनांक 07.05.2018 द्वारा ग्राम पंचायत डांसरोली तहसील दांतारामगढ भूमि खसरा नम्बर 711/739 रकबा 0.44 है0 वाके ग्राम राजपुरा प0ह0 डांसरोली की हद तक का निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है कि न्यायालय की निर्णय की पालना कर पालना सें अवगत करावे। पत्रावली बाद तकमील कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 21.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

(राजेश कुमार मीणा)

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ (सीकर)